

अज अदालत..... सहायक कलक्टर (SDO) बायतु..... मुकाम.....

फकीर खां बनाम इकाहीम खां बेरा

किस्म मुकदमा रा. अवेदन 111, 128 RLR नं. 175/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/04/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>महवीर जीनगर</u></p> <p>ने यह प्रार्थनापत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128 RLR</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>05/05/2022</u> को पेश हो।</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्रार्थी गणों के नोटिस पूर्व में जर्जिये रजि- 128 एडी अजवाये गये जिनकी डिमेन्ड रमिते प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली विभा गणों/विप्रार्थी गणों वाक्युड सूचना अनुसंधान/गमका लभ समझ तीन बार कावाज लगाई गई, कलियम कावाज 5.45 PM पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी कीट से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही कामल में लाई जाती है। कतः वाक्युड पत्रावली दिनांक 01/06/2022 को पेश की।</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाहमेर</p>

ostosthore

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला - बाहमेर

01/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

प्रार्थी के अधिवक्ता (0307)
बायतु
जिला - बाड़मेर

न्यायालय
बाद / 2022 / 907
प्रार्थी
1. फकीर खां पुत्र सिमजु
जाति तेली, निवासी
की बाणी, पटवा
तहसील बायतु
प्रार्थन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 907

दिनांक : 01/06/2022

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1. फकीर खां पुत्र रिमजु खां,
जाति तेली, निवासी आहोणी बैनिवालों
की ढाणी, पटवार मण्डल माधासर,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. इब्राहीम खां पुत्र गुमान खां वगैरा 08,
जाति तेली, निवासी आहोणी बैनिवालों
की ढाणी, पटवार मण्डल माधासर,
तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 175 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - आहोणी बैनिवालों की ढाणी, पटवार हल्का - माधासर, तहसील - बायतु, जिला- बाड़मेर के खेत खसरा नं. 809/694 रकबा 4.0693 हेक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक : 01/06/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 908-912

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री फकीर खां पुत्र रिमजु खां,
4. विप्रार्थी श्री इब्राहीम खां पुत्र गुमान खां वगैरा 05,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु